न्यायालय, दिनेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा।

विवाह प्रत्यास्थापना वाद संख्या–70/2024

विकाश कुमार उर्फ विशाल कुमार, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता–शिवजी प्रसाद गुप्ता, महावीर चौक सहरसा। ....वादी

बनाम्

चंचला कुमारी उर्फ चंचल, उम्र करीब 32 वर्ष, विकाश कुमार उर्फ विशाल कुमार, पिता–मधुसुदन प्रसाद गुप्ता, साकिन–अगनुर, पो0 कलेर, जिला–अरवल। वर्तमान पता–दीपक कुमार सोना निवास पो0 बी0 भी0 कॉलेज पटना 800014 (बिहार भेटनरी कॉलेज) ....प्रतिवादिनी

17.04.2026 वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है। प्रतिवादिनी की ओर से हाजिरी दी गयी है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 06.12.2025 को दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि वादी उक्त वाद में प्रतिवादिनी को रखने के लिए आवेदन दाखिल किये थे, समझौता नहीं होने पर यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है। इस वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुकार पर वादी न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र की अन्तर्वस्तु का मौखिक रूप से समर्थन किया है। मौखिक रूप से भी वाद वापसी के आधार पर यह वाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना किये है।

तद्नुसार यह वाद वापसी के आधार पर निरस्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

(दिनेश कुमार)

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय, सहरसा।